

शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश



पेंशन एवं भवन शाखा


पृष्ठांकन सम संख्या: शिक्षा-एचई (13) -1/2012 (पेंशन हिदायत) शिमला-1 दिनांक जून, 2015
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव(वित्त)हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पत्र संख्या:शिक्षा फिन (पें) बी(10)-3/2006-खण्ड-1 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला-2।
3. समूह समादेशक, एन0सी0सी0 समूह मुख्यालय, शिमला -4
4. शाखा अधिकारी (कॉलेज शाखा/10+2शाखा/स्थापना शाखा-1/शारीरिक शिक्षा/योजना शाखा एवं छात्रवृति शाखा) शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश।
5. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय/ संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश।
6. प्राचार्य, शिक्षक महाविद्यालय, धर्मशाला/एस0सी0ई0आर0टी0 सोलन हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त अधीक्षक, (कॉलेज शाखा/10+2शाखा/स्थापना शाखा-1/शारीरिक शिक्षा /योजना शाखा एवं छात्रवृति शाखा) शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) को आदेश दिये जाते हैं कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देश दिये जायें कि पेंशन मामले उनकी सेवानवृति के 6 महीने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हि0प्र0 के कार्यालय को सरकार से प्राप्त पत्र के निर्देशानुसार ही प्रेषित किये जायें ।
9. समस्त जिला पुस्तकालय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
10. आहरण एवं वितरण अधिकारी, शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश।
11. ईन्चार्ज कमप्यूटर शाखा शिक्षा निदेशालय को प्रतिलिपि इस आशय के साथ प्रेषित है कि इन आदेशों को बैबसाईट पर अपलोड किये जायें।
12. कार्यालय नस्ति/ रक्षक नस्ति।


शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश

अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 से 61 की सख्ती से अनुपालना करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों/ अधिकारियों के पेंशन मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति से 6 महीने पहले महालेखाकार (ले०वह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजे जायें। सभी विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि नियम 56 में वांछित सूचना भी निश्चित समय-वधि के भीतर महालेखाकार (ले०वह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को समय-समय पर भेजा करें।

इसके अतिरिक्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी करें कि वह सेवा निवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की जन्म तिथि, ऐम्पड कोड, डी.डी.ओ. कोड, फार्म-3 में पारिवारिक पेंशन के लिए जन्म तिथि और सेवा निवृत्ति की सही तिथियाँ तथा मृत कर्मचारियों और स्वेच्छा से निवृत्त कर्मचारियों की जन्मतिथि भी विवरणियों में दर्शाना सुनिश्चित करें। यह सभी विभागों से अपेक्षित है कि वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अगल किया जाए ताकि सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन मामलों का समय-बद्ध तरीके से निपटारा हो तथा सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सके।



भवदीय,




विशेष सचिव (वित्त)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

दूरभाष: 0177-2621904

पृष्ठांकनसंख्या:फिन(पें)बी(10)-3/2006-खण्ड-1 दिनांक:शिमला-22/06/2015।
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप-महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (ले०वह०)हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 को उनके पत्र संख्या:पेंशन-1/पै.वि.क./जोशी/रिपोर्ट/2015-16/404-05 दिनांक 02-06-2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान आवासीय आयुक्त, हि०प्र० हिमाचल भवन, 27-सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियन्ता, हि०प्र० ले०नि०विभाग/ सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग।
5. पर्जायक, हि०प्र० उच्च न्यायालय, शिमला-1।
6. समस्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक/ उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी(वित्त एवं लेखा) हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय।



विशेष सचिव (वित्त)